मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक २ फरवरी १९७३ में प्रकाशित

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन १९७३

मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, १९७२ (दिनांक २७ जनवरी १९७३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति

"मध्य प्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २ फरवरी १९७३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई ।

राज्य सरकार द्वारा कतिपय भूमियों पर ट्रैक्टरों के साधन से खेती की जाने तथा उसके संबंध में प्रभारों की वसूली के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित, किया जाय :—

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम १९७२ कहा जा सकेगा । संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है ।

(३) यह ऐसी तारीख को, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत होगा ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएं हो,

(क) "खेतिहर" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि पर खेती करता हो,

(ख) "संचालक" से अभिप्रेत है कृषि संचालक, मध्यप्रदेश या कोई अन्य आफिसर जो उस हैसियत में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो,

(ग) "व्यक्तिगत रूप से खेती करना" से अभिप्रेत है अपने स्वयं के लिये-

(एक) अपने स्वयं के श्रम द्वारा, या

(दो) अपने कुटुम्ब के श्रम द्वारा, या

(तीन) नकद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी पर नौकरों द्वारा,

(चार) अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा

खेती करना:

(घ) "ट्रैक्टर" से अभिप्रेत है कोई ऐसा ट्रैक्टर जो राज्य सरकार के स्वामित्व का हो या जो उसके (राज्य सरकार के) नियंत्रण, निदेश या पर्यवेक्षण के अधीन संचालित किया जाता हो,

(ङ) "ट्रैक्टर द्वारा खेती" के अन्तर्गत आती है कृषि संबंधी कोई भी ऐसी सक्रियाएं जो ट्रैक्टरों द्वारा की जा सकें, जैसे हल चलाना, कास उन्मूलन, पटेला फेरना समतल करना (ड्रिलिंग) बीज बोना या फसल काटना,

(च) "ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभार" से अभिप्रेत है ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती के मुददे वसूली योग्य प्रभार ।

ट्रैक्टर द्वारा खेती करने के लिये आवेदन पत्र— 3. (१) कोई भी खेतिहार अपनी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग ट्रैक्टर द्वारा खेती कार्यान्वित करने के लिये संचालक को आवेदन कर सकेगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा तथा उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जैसा कि विहित किया जाये ।

आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर प्रक्रिया । 4. (१) संचालक धारा ३ के अधीन प्राप्त किये गये आवेदन-पत्र को अंगीकृत या अगृहीत कर सकेगा और, जहाँ वह आवेदन-पत्र प्रतिगृहीत करे वहाँ खेतिहार से यह अपेक्षा करेगा कि वह विहित प्रपत्र में एक बंधपत्र ऐसे प्रतिग्रहण की उसे प्रज्ञापना प्राप्त हो जाने से तीस दिन

(२) उपधारा (१) अधीन विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर खेतिहार द्वारा बन्धपत्र निष्पादित न किया जाने पर आवेदन-पत्र अगृहीत हो जायेगा ।

ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों की वसूली 5. (१) खेतिहार द्वारा धारा ४ के अधीन बन्ध पत्र के निष्पादित कर दिये जाने पर, संचालक खेतिहार की भूमि पर ट्रैक्टर द्वारा खेती करवायेगा ।

(२) ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती का कार्यपूर्ण हो जाने पर, संचालक—

(क) विहित रीति में, सूचना द्वारा, खेतिहार को ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती

संबंधी प्रभारों को इत्तिला देगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह कलेक्टर को या ऐसे अन्य आफिसर को, जिसे कि कलेक्टर इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे ऐसी रीति में, जैसी कि सूचना में विनिष्ट हो, संदाय करें ५,

(ख) सूचना की एक प्रति कलेक्टर को, ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों की वसूली के प्रयोजनार्थ अग्रेषित करेगा ।

(३) ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभार दस से अनधिक इतनी वार्षिक किस्तों में देय होंगे जितनी कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इन किस्तों में से प्रथम किस्त उस राजस्व-वर्ष के, जिसमें कि ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती का कार्य पूर्ण किया गया हो, ठीक पश्चात आने वाले अक्टूबर के प्रथम दिवस को देय होगी और उस पर पूर्वोक्त तारीख से ऐसी दर से, जैसी कि राज्य सरकार समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, ब्याज लगेगा ।

(४) यदि ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों की कोई किस्त, उस पर के ब्याज सहित नियत तारीख तक संदत्त न की जाये, तो वह खेतिहार से भू-राजस्व के बकाया की भांति कलेक्टर द्वारा वसूली योग्य होगी ।

६. संचालक इस अधिनियम के आधीन अपनी समस्त शक्तियां तथा कृत्य शक्ति का या उनमें से कोई भी शक्ति तथा कृत्य कृषि विभाग के किसी भी ऐसे आफिसर को, प्रत्यायोजन जो सहायक कृषि यंत्री/सहायक संचालक, कृषि के पद से निम्न पद का न हो प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

७. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्ध उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिये या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे,

अर्थात :—

(क) वह प्ररुप जिसमें धारा ३ के आधीन आवेदन किया जायेगा तथा वे विशिष्टियां जो ऐसे आवेदन पत्र में अन्तर्विष्ट होगी,

[ख] वह प्ररुप जिसमें धारा ४ के अधीन बन्ध-पत्र खेतिहार द्वारा निष्पादित किया जायगा तथा वे विशिष्टियां जो ऐसे बन्ध पत्र में अन्तर्विष्ट होगी:

[ग] [एक] ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का धारा ५ के अधीन मापमान:

[दो] वह प्ररुप तथा रीती जिसमें कि धारा ५ के आधीन सूचना दी जायगी:

[घ] कोई भी अन्य विषय जो कि विहित किया जाना हो या विहित किया जाय ।

[३] इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटलपर के रखी जायेगे ।

८. मध्यभारत ट्रेक्टर खेती (परिशुल्क प्राप्ति) विधान, सम्वत २०००७ निरसन विधान क्रमांक ८३ सन १९५०) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

मध्य प्रदेश शासन

कृषि विभाग

भोपाल, दिनांक..............

अधिसूचना

क्र. बी–७–११–७३/१४–३ म. प्र. ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम १९७२ (क्र. ९ सन १९७३) की धारा ७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :

– नियम –

१– संक्षिप्त नाम :–इन नियमों का संक्षिप्त नाम म. प्र. ट्रैक्टर द्वारा (प्रभारों की वसूली) नियम, १९८१ है।

२– परिभाषायें :–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, (क) 'प्रारूप' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप, और (ख) 'धारा' से अभिप्रेत है म. प्र. ट्रैक्टर द्वारा खेती प्रभारों की वसूली) अधिनियम १९७२ (क्र. ९ सन १९७३) की धारा।

३– ट्रैक्टर द्वारा खेती करने के लिये आवेदन पत्र–
ट्रैक्टर द्वारा खेती करने के लिये धारा ३ की उप धारा [१] के अधीन आवेदन पत्र प्रारूप एक में दिया जायेगा और उसके साथ संबंधित पटवारी से प्राप्त इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न रहेगा कि आवेदक प्रश्नगत भूमि का एक भूमिस्वामी भूधारी [टेन्यूअर होल्डर] है।

४– आवेदन पत्र के अभिग्रहण की प्रज्ञापना –
ट्रैक्टर द्वारा खेती करने के लिये धारा ३ की उपधारा [१] के अधीन किये गये आवेदन पत्र के अभिग्रहण की प्रज्ञापना संबंधित खेतिहर को प्रारूप–दो में दी जायेगी।

५– मांग पत्र–धारा ४ की उपधारा [१] के अधीन निष्पादित किया जाने वाला बन्धपत्र प्रारूप तीन में होगा।

६– पूर्ण होने का प्रमाण पत्र :–ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती का कार्य पूर्ण होने पर खेतिहर प्रारूप–चार में यह प्रमाणित करेगा कि ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती उसके समाधान योग्य पूर्ण कर दी गई है या यह कि उसके समाधान योग्य पूर्ण नहीं की गई है जिसके लिए कि उस प्रारूप में कारण कथित किये जायेंगे।

७- ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान—ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान निम्नलिखित होगा-- [क] डोजिंग या सम्बद्ध कार्य, जो विभिन्न अश्व-शक्ति के उन ट्रैक्टरों द्वारा जो कि बुलडोजिंग अटैचमेंट से युक्त हो, किया जाना हो –

१–८० अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर १०० रुपये प्रति घंटा।
२– ६० अश्वशक्ति तथा ७६ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर ८५ रुपये प्रति घंटा।
३- ४० अश्वशक्ति तथा ५६ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर ५० रुपये प्रति घंटा।
४- ४० अश्वशक्ति से कम के ट्रैक्टर ४० रुपये प्रति घंटा।

[ख] जुताई–कार्य जो प्लाउइंग अटैचमेंट से युक्त ट्रैक्टरों द्वारा किया जाना हो –

१– खेती की गई भूमि के लिए — रुपये प्रति हैक्टर
२– पड़त भूमि के लिए — रुपये प्रति हैक्टर

[ग] हल्का खेती कार्य :–

१– अनुवर्ती [फालोअप] खेती — रुपये प्रति हैक्टर
२– सम्भारना [हरोइंग] — रुपये प्रति हैक्टर

[घ] परिवहन कार्य जो विभिन्न अश्वशक्ति के ट्रैक्टरों द्वारा किया जाना हो :-

१- २० अश्वशक्ति से २५ अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर — २५ रुपये प्रति घंटा
२- ३५ अश्वशक्ति से अधिक के ट्रैक्टर — ३० रुपये प्रति घटा

[ङ] डोजिंग या सम्बद्ध कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के उन ट्रैक्टरों द्वारा जो कि बुलडोजिंग अटैचमेंट से युक्त हो, कृषि भिन्न प्रयजनों के लिए किया जाना हो :-

१- ८० अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर — १२० रुपया प्रति घंटा
२- ६० अश्वशक्ति तथा ७६ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर — १०५ रुपये प्रति घंटा
३- ४० अश्वशक्ति तथा ५६ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर — ६४ रुपये प्रति घंटा
४- ४० अश्वशक्ति से कम के ट्रैक्टर — ५२ रुपये प्रति घंटा

८- ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती सम्बन्धी प्रभारों के संदाय के लिए सूचना :-

ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती सम्बन्धी प्रभारो के संदाय की सूचना प्ररूप [पांच] में होगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक २ फरवरी १९७३
में प्रकाशित

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ६ सन् १९७३

मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, १९७२

(दिनांक २७ जनवरी १९७३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २ फरवरी १९७३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।)

राज्य सरकार व्दारा कतिपय भूमियों पर ट्रैक्टरों के साधन से खेती की जाने तथा उसके संबंध में प्रभारों की वसूली के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल व्दारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :-

१) (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की ... संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ

२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

३) यह ऐसी तारीख को, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना व्दारा नियत करे, प्रवृत्त होगा।

२) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएं हो,

(क) "खेतिहर" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि पर खेती करता हो,

(ख) "संचालक" से अभिप्रेत है कृषि संचालक, मध्यप्रदेश या कोई अन्य आफिसर जो उस हैसियत में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सरकार व्दारा नियुक्त किया गया हो,

(ग) "व्यक्तिगत रूप से खेती करना" से अभिप्रेत है अपने स्वयं के लिये -

(एक) अपने स्वयं के श्रम व्दारा, या

(दो) अपने कुटुम्ब के श्रम व्दारा, या

(तीन) नकद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी पर नौकरों व्दारा,

(चार) ~~अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण~~
पर्यवेक्षण के अधीन मजदूर श्रमिक व्दारा

खेती करना,

(घ) "ट्रैक्टर" से अभिप्रेत है कोई ऐसा ट्रैक्टर जो राज्य सरकार के स्वामित्व का हो, या जो उसके(राज्य सरकार के) नियंत्रण, निदेश या पर्यवेक्षण के अधीन संचालित किया जाता हो,

(ङ) "ट्रैक्टर व्दारा खेती" के अन्तर्गत आती है कृषि संबंधी कोई भी ऐसी संक्रियाएं जो ट्रैक्टरों व्दारा की जा सके, जैसे हल चलाना, कांस उन्मूलन, पटेला फेरना, समतल करना (डिस्किंग) बीज बोना या फसल काटना,

(च) "ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभार" से अभिप्रेत है ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती के मद्दे वसूली योग्य प्रभार।

ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिये आवेदन पत्र

(३) (१) कोई भी खेतिहर अपनी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग ट्रैक्टर ~~व्दारा खेती कार्यान्वित करने के लिये संचालक को आवेदन कर~~ सकेगा।

(२) उपधारा(१) के अधीन किया गया आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा तथा उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रक्रिया

(४) (१) संचालक व्दारा ३ के अधीन प्राप्त किये गये आवेदन पत्र को प्रतिगृहित या नामंजूर कर सकेगा और जहाँ वह आवेदन पत्र प्रतिगृहित करे वहाँ खेतिहर से यह अपेक्षा करेगा कि वह विहित प्रारूप में एक बन्धपत्र को प्रतिगृहण की ऐसी प्रज्ञापना प्राप्त हो जाने के तीस दिन के भीतर निष्पादित करे।

(२) उपधारा(१) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर खेतिहर व्दारा बन्धपत्र निष्पादित न किया जाने पर आवेदन पत्र अगृहीत हो जायेगा।

ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों की वसूली।

(५) (१) खेतिहर व्दारा धारा ४ के अधीन बन्ध पत्र के निष्पादित कर दिये जाने पर संचालक खेतिहर की भूमि पर ट्रैक्टर व्दारा खेती करवायेगा।

(२) ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती का कार्य पूर्ण हो जाने पर संचालक-

(क) विहित रीति में, सूचना व्दारा, खेतिहर को ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों की इत्तिला देगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह कलेक्टर को या ऐसे अन्य आफिसर को, जिसे कि कलेक्टर इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे। ऐसी रीति में, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, प्रदाय करें,

(ख) सूचना की एक प्रति [illegible] कलेक्टर को, ट्रैक्टर व्दारा की गई

खेती संबंधी प्रभारों की वसूली के प्रयोजनार्थ अग्रेषित करेगा ।

(३) ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभार देय से अनधिक इतनी वार्षिक किस्तों में देय होंगे जितनी कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इन किस्तों में से प्रथम किस्त उस राजस्व-वर्ष के, जिसमें कि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती का कार्य पूर्ण किया गया हो, ठीक पश्चात आने वाले अक्टूबर के प्रथम दिवस को देय होगी और उस पर पूर्वोक्त तारीख से ऐसी दर से, जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना व्दारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, ब्याज लगेगा ।

(४) यदि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों की कोई किस्त, उस पर के ब्याज सहित नियत तारीख तक संदत्त न की जाये, तो वह खेतिहर से भू-राजस्व के बकाया की भांति कलेक्टर व्दारा वसूली योग्य होगी ।

६- संचालक इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियाँ तथा कृत्य शक्ति का या उनमें से कोई भी शक्ति तथा कृत्य कृषि विभाग के किसी भी ऐसे आफिसर को, प्रत्यायोजन, जो सहायक कृषि यंत्री।सहायक संचालक, कृषि के पद से निम्न पद का न हो प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

७- (१) राज्य सरकार, अधिसूचना व्दारा, इस अधिनियम के उपबन्ध उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियमबना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिये या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे,

अर्थात् :-

(क) वह प्रारूप जिसमें धारा ३ के अधीन आवेदन किया जायेगा तथा वे विशिष्टियाँ जो ऐसे आवेदन पत्र में अन्तर्विष्ट होंगी :-

(ख) वह प्रारूप जिसमें धारा ४ के अधीन बन्ध पत्र खेतिहर व्दारा निष्पादित किया जायगा तथा वे विशिष्टियां जो ऐसे बन्ध पत्र में अन्तर्विष्ट होंगी :

(ग) (एक) ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का धारा ५ के अधीन मापमान :

(घ) कोई भी अन्य विषय जो कि विहित किया जाना हो या विहित किया जाय ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे ।

:- मध्यप्रदेश ट्रैक्टर खेती (परिशुल्क प्राप्ति) विधान, सम्वत् २०००७ निरसन विधान क्रमांक ८३ सन् १९५०) एतद् व्दारा निरस्त किया जाता है ।

==०==

×/ (दो) वह प्रारूप तथा रीती जिसमें कि धारा 5 के अधीन सूचना दी जायेगी:

मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

भोपाल, दिनांक - - - - - - - -

: अधिसूचना :

क्रमांक बी-७।११।७३।१४-३ मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा, खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ९ सन् १९७३) की धारा ७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

। नियम ।

१- संक्षिप्त नाम :- इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा (प्रभारों की वसूली) नियम, १९८१ है ।

२- परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो (क) " प्रारूप " से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप, और (ख) " धारा " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम १९७२) क्रमांक ९ सन् १९७३) की धारा ।

३- ट्रैक्टर द्वारा खेती करने के लिये आवेदन पत्र -

ट्रैक्टर द्वारा खेती करने के लिये धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन आवेदन पत्र प्रारूप एक में दिया जायगा और उसके साथ संबंधित पटवारी से प्राप्त इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न रहेगा कि आवेदक प्रश्नगत भूमि का एक भूमिस्वामी। भूधारी (टेन्युअर होल्डर) है ।

४- आवेदन पत्र के प्रतिग्रहण की प्रज्ञापना:-
ट्रैक्टर द्वारा खेती करने के लिये धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन किये गये आवेदन पत्र के प्रतिग्रहण की प्रज्ञापना संबंधित खेतिहर को प्रारूप-दो में दी जायगी ।

५- बन्धनपत्र:- धारा ४ की उपधारा(१) के अधीन निष्पादित किया जाने वाला बन्धन पत्र प्रारूप तीन में होगा ।

६- पूर्ण होने का प्रमाण पत्र:- ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती का कार्य पूर्ण होने पर खेतिहर प्रारूप-चार में यह प्रमाणित करेगा कि ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती उसके समाधानयोग्य पूर्ण कर दी गई है या यह कि उसके समाधान योग्य पूर्ण नहीं की गई है जिसके लिये कि उस प्रारूप में कारण कथित किये जायेंगे ।

७- ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान:- ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान निम्नलिखित होगा :-

(क) डोजिंग या सम्बद्ध कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के उन ट्रैक्टरों द्वारा जो कि बुलडोजिंग अटेचमेन्ट से युक्त हों, किया जाना हो :-

--२--

(१) ८० अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर १००-रुपये प्रतिघंटा

(२) ६० अश्वशक्ति तथा ७६ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर ८५ रुपये प्रति घंटा

(३) ४० अश्वशक्ति तथा ५६ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर ५० रुपये प्रति घंटा

(४) ४० अश्वशक्ति से कम के ट्रैक्टर ४० रुपये प्रतिघंटा

(ख) जुताई-कार्य जो प्लाउइंग अटेचमेंट से युक्त ट्रैक्टरों व्दारा किया जाना हो :-

(१) खेती की गई भूमि के लिए रुपये प्रति हैक्टर

(२) पड़त भूमि के लिए रुपये प्रति हैक्टर

(ग) हलका खेती कार्य :-

(१) अनुवर्ती(फालोअप)खेती रुपये प्रति हैक्टर

(२) बखरना(हरोइंग) रुपये प्रति हैक्टर

(घ) परिवहन कार्य जो विभिन्न अश्वशक्ति के ट्रैक्टरों व्दारा किया जाना हो :-

(१) २० अश्वशक्ति से २५ अश्वशक्ति २५ रुपये प्रतिघंटा

(२) ३५ अश्वशक्ति से अधिक के ट्रैक्टर ३० रुपये प्रति घंटा

(५०) डोजिंग या सम्बद्ध कार्य,जो विभिन्न अश्वशक्ति के ट्रैक्टरों व्दारा जो कि बुलडोजिंग अटेचमेंट से युक्त हो,कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाना हो :-

(१) ८० अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर १२० रुपये प्रति घंटा

(२) ६० अश्वशक्ति तथा ७६ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर १०५ रुपये प्रतिघंटा

(३) ४० अश्वशक्ति तथा ५६ अश्वशक्ति के बीच के ट्रैक्टर ६४ रुपये प्रतिघंटा

(४) ४० अश्वशक्ति से कम के ट्रैक्टर ५२ रुपये प्रतिघंटा

८- ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों के संदाय के लिये सूचना :-
ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी प्रभारों के संदाय की सूचना प्रारूप (पांच) में होगी ।

प्रारूप-एक

(नियम ३ देखिये)

ट्रैक्टर व्दारा खेती कार्यान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती(प्रभारों की वसूली) अधिनियम,१६७५ की धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन के आवेदन पत्र :-

१- खेतीहर का नाम तथा उसके पिता का नाम

२- निवास स्थान

३- तहसील

४- जिला

५- उस भूमि की विशिष्टियाँ जिस पर ट्रैक्टर व्दारा खेती कार्यान्वित की जाना है :-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) पटवारी हल्का क्रमांक

(घ) ग्राम

(ड०) खसरा क्रमांक

(च) ट्रैक्टर व्दारा की जाने वाली खेती के कार्य की मद मदे जो कि कार्यान्वित की जानी हो है:-

मद	है० अथवा हैक्टरों में खेती की गई भूमि का	पहुत भूमि का
१-		
२-		
३-		
४-		
५-		

६- यदि यह आवेदन पत्र संचालक व्दारा प्रतिग्रहित कर लिया जाता है तो आवेदक एतद् व्दारा, यह जिम्मा लेता है कि यह ट्रैक्टर व्दारा खेती आरंभ की जाने के पूर्व अपने खर्च पर पत्थरों,ठूंठों,झाडियों,वृक्षों,तथा पौधों का जिनका कि व्यास । इंच या उससे अधिक हो,से रहित साफ भूमि देगा तथा खाईयों एवं नाले भरवा देगा और जड से निकलने वाले अंकुरों(Roots) को कुचलवा देगा यदि इनमे से कोई भी उक्त भूमि मे है ।

संलग्न:- पटवारी का प्रमाण पत्र

खेतिहर के हस्ताक्षर

(नियम(४) देखिये)

धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन किये गये आवेदन पत्र के प्रतिग्रहण का प्रारूप - - - -

- -

कार्यालय - - - - - - - - - - - -
ज्ञापन - - - - - - - - - - - -

क्रमांक - - - - - - - - - - - - - - - - - - तारीख - - - - - - - - - -

प्रति,
श्री - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

विषय:- ट्रेक्टर व्दारा खेती - - - - - - - - - -

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र तारीख - - - - - - - - - - -
संदर्भाधीन आपका आवेदन पत्र जो - - - - - - - - - हेक्टर
भूमि(खेती की भूमि - - - - - - - - - - - - हेक्टर तथा
पड़त भूमि - - - - - - - - - - - - - हेक्टर(खसरा)
क्रमांक - - - - - - - - - - - - ग्राम - - - - - - - -
पटवारी हल्का क्रमांक - - - - - - - - - - तहसील - - - - - - -
जिला - - - - - - - - -(पर ट्रेक्टर व्दारा खेती कार्यान्वित करने के संबंध में है, प्रतिगृहित किया गया है तथा आपसे, एतद्व्दारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप संलग्न प्रारूप में एक बंधपत्र इस ज्ञापन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर निष्पादित करें । उपर विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर बंधपत्र निष्पादित न किया जाने पर, संदर्भाधीन आवेदन पत्र खारिज हो जायेगा ।

संचालक, कृषि, मध्यप्रदेश
या
अधिकारी जो धारा २(ख) के
अधीन नियुक्त किया गया हो ।

प्रारूप(तीन)
(नियम ५ देखिये)

मैं, - - - - - - - - - - - - - - - - निवासी ग्राम - - - - - - - पटवारी हल्का क्रमांक - - - - - - - - - तहसील - - - - - - - - - - जिला - हैक्टर भूमि(खेती की गई भूमि - - - - - - - - - - - - - - - - - हैक्टर तथा पड़त भूमि - - - - - - - - - - - - हैक्टर( ) खसरा क्रमांक - - - - - - - - - - - - - - - - - - ग्राम - - - - - - - पटवारी हल्का क्रमांक - - - - - - - - - - तहसील - - - - - - - - जिला - - - - - - - - - - - -) पर ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिये,मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती(प्रभारों की वसूली) अधिनियम,१९७२(क्रमांक ६ सन् १९७३)( ) जो इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन आवेदन कर चुका हूं और वह आवेदन पत्र उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा(१) के अधीन प्रतिगृहित कर लिया गया है अत: मैं एतद्व्दारा

(१) यह जिम्मा लेता हूं कि मैं :-

(क) (एक) उक्त भूमि में से समस्त उन हण्ठलों,जड़ों।झाड़ियों, वृक्षों,पौधों को,जिनका कि व्यास 1 इंच से अधिक हो,जड़ से उखड़वा दूंगा ,

(दो) उक्त भूमि में से अधिक बड़े पत्थरों को हटवादूंगा,

(तीन) उक्त भूमि में की खाईयों तथा नालों को भरवा दूंगा,

(चार) उक्त निकलने वाले अँकुरों(टिलरों) को,जो कि उक्त भूमि में हो कुचलवा दूंगा ,

जिससे कि वह भूमि ट्रैक्टर व्दारा की जाने वाली खेती के लिए उपयुक्त बन जाय ,

(ख) ट्रैक्टर-व्दारा खेती कार्यान्वित करने के दौरान भूमि पर स्वयं उपस्थित रहूंगा या अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य या अपने सेवक या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे उस भूमि की पूरी जानकारी हो जिस पर कि ट्रैक्टर व्दारा खेती इस संबंध में किये गये मेरे आवेदन के अनुसार कार्यान्वित की जाना है, प्रतिनियुक्ति करूंगा, जिससे कि वह निदेश दिया जा सके कि

उसी भूमि पर ट्रैक्टर व्दारा खेती कार्यान्वित की जाय पर कि ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिए आवेदन किया गया था,

(ग) किसी ऐसे पत्थर, जड़, झाड़ी, वृक्ष, पौधे, जिसका कि व्यास 1 इंच से अधिक हो, किसी अधिक बड़े पत्थर, खाईयों या नालों या जड़ से निकलने वाले अंकुरों (टिलर्स) के विद्यमान होने के कारण ट्रैक्टर को हुए नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति करूंगा :

(घ) ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी जो प्रभार उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होंगें उसका भुगतान करूंगा :

(ङ०) मेरे व्दारा, मेरे परिवार के किसी सदस्य व्दारा, मेरे सेवक व्दारा या किसी ऐसे व्यक्ति व्दारा, जो कि इस प्रयोजन के लिए मेरे व्दारा प्रतिनियुक्त किया गया हो, उचित निर्देश न दिये जाने के कारण उस भूमि से, जिस पर कि ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिए आवेदन किया गया था, भिन्न भूमि पर ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती के लिए उन प्रभारों का, जो कि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती के लिए उन प्रभारों का, जो कि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती के संबंध में देय होते हैं, एकमुश्त भुगतान उस दर से करूंगा जो कि मध्यप्रदेश ट्रैक्टर व्दारा खेती (प्रभारों की वसूली) नियम, १६७६ के नियम ७ में विनिर्दिष्ट की गई हैं,

२- यह करार करता हूं:-

(क) कि मैं उस दशा में जब कि उस संपूर्ण भूमि पर, जिस पर कि ट्रैक्टर व्दारा खेती करने के लिये आवेदन किया गया था, ट्रैक्टर व्दारा खेती तकनीकी कारणों से कार्यान्वित न की जा सकी हो उन प्रभारों का जो कि ट्रैक्टर व्दारा की गई खेती के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देय होते हैं, भुगतान करूंगा और यह कि मैं न किये गये कार्य के संबंध में नुकसानी या किसी प्रतिकार के लिए दावा नहीं करूंगा और

(ख) कि मैं ट्रैक्टर व्दारा की जाने वाली खेती का कार्य पूर्ण हो जाने पर यह प्रमाणित करूंगा कि वह पूर्ण हो गया है।

३- यह घोषणा करता हूं कि यह वचनबंध मेरे वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा विधिक प्रतिनिधियों को लागू होगा। जिसके कि साक्ष्य में मैंने, जो कि उक्त - - - - - - - - - हूं, इसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

तारीख - - - - - - - - - - नाम - - - - - - - - - - - - वल्द - - - - - - - -

हस्ताक्षर - - - - - - - - - -

साक्षी - - - - - - - - - -

साक्षी - - - - - - - - - -

प्रारूप-चार

(नियम ६ देखिए)

प्रमाण पत्र

मैं, ---------- निवासी ग्राम -------- पटवारी हल्का क्रमांक ------------ तहसील ---------- जिला ------ एतद्व्दारा, यह प्रमाणित करता हूँ कि उस भूमि पर, जिसकी कि विशिष्टियाँ नीचे दी गई है, ट्रेक्टर व्दारा खेती इस प्रयोजन के लिये किये गये मेरे आवेदन, तारीख -------- के अनुसार मेरे पूर्ण समाधान योग्य कार्यान्वित की गई है ।

मैं, ---------- निवासी ग्राम -------- पटवारी हल्का क्रमांक -------- तहसील -------- जिला -------- अपने आवेदन पत्र तारीख -------- के संदर्भ में, एतद् व्दारा, यह बतलाता हूँ कि उस भूमि पर, जिसकी कि विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं, ट्रेक्टर व्दारा खेती का समाधानप्रद रूप से कार्यान्वित नहीं की गई है क्यों कि ट्रेक्टर व्दारा खेती का जो कार्य कार्यान्वित किया गया है क्यों कि ट्रेक्टर व्दारा खेती का जो कार्य कार्यान्वित किया गया है उसमें निम्नलिखित कमियाँ हैं, अर्थात :-

१- -----------

२- -----------

३- -----------

भूमि की विशिष्टियाँ

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) पटवारी हल्का क्रमांक

(घ) ग्राम

(ङ) खसरा क्रमांक

(च) क्षेत्रफल

(एक) खेती की भूमि

(दो) पड़त भूमि

हस्ताक्षर

प्रारूप पाँच
(नियम ८ देखिये)

कार्यालय --

मध्यप्रदेश ट्रेक्टर व्दारा खेती(प्रभारों की वसूली)
अधिनियम,१९७२ की धारा ५(२) (क) के अधीन सूचना

क्रमांक ---------------- तारीख ----------------

प्रति,

श्री ------------

चूंकि,मध्यप्रदेश ट्रेक्टर व्दारा खेती(प्रभारों की वसूली) अधिनियम,१९७२ की धारा ३ की उपधारा(१) के अधीन किये गये आपके आवेदन,तारीख ---------- के अनुसार मैं, ट्रेक्टर व्दारा खेती नीचे वर्णित की गई भूमि में कार्यान्वित की गई है :-

(क) जिला ------------
(ख) तहसील ------------
(ग) पटवारी हल्का क्रमांक ------------
(घ) ग्राम ------------
(ङ) खसरा क्रमांक ------------
(च) क्षेत्रफल ------------
(एक) खेती की भूमि
(दो) पड़त भूमि

और चूंकि आप ट्रेक्टर व्दारा की गई खेती संबंधी निम्नलिखित प्रभारों का, जो कि मध्यप्रदेश ट्रेक्टर व्दारा खेती(प्रभारों की वसूली नियम,(९८) के नियम(७) में अधिकथित किये गये प्रभारों के मापमान के आधार पर निर्धारित किये गये हों, तथा व्याज की उस रकम का,जो कि मध्यप्रदेश सरकार व्दारा विनिदिष्ट की गई दर से संगणित की गई हो,भुगतान करने के दायित्वाधीन है,अर्थात :-

रुपये -------- पैसे --------
खेती संबंधी प्रभार ----------------
व्याज ----------------
योग ----------------

अतएव,आप से यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त खेती संबंधी प्रभारों

--५१---

६

का कार्य तथा ब्याज की रकम का - - - - - - - - - - - - - - जो कि किस्तों उक्त तारीखों पर या उन तारीखों के पूर्व जो कि नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, सरकारी खजाना - - - - - - - - - - - में भुगतान कर रकम राजस्व शीर्ष - - - - - - - - - - में जमा करके, करें तथा कलेक्टर - - - - - - - - - - - या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष जिसे कि उक्त कलेक्टर इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें कि खजाने का रसीदी चालान उस भुगतान के सबूत में पेश करें ।

किस्तों के भुगतान की नियत तारीखें

पहली किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -
दूसरी किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -
तीसरी किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -
चौथी किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -
पांचवी किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -
छटवीं किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -
सातवीं किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -
आठवीं किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -
नवीं किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -
दसवीं किस्त - - - - - - - - - - - - - - - - - । अक्टूबर - - - - - - - - - -

संचालक कृषि, मध्यप्रदेश
या
अधिकारी जो धारा २(ख) के
अधीन नियुक्त किया गया हो ।

क्रमांक - - - - - - - - - तारीख - - - - - - - - - - - - - - - - -

प्रतिलिपि:- मांग सूची की प्रतिलिपि सहित कलेक्टर - - - - - - - - - - को मध्यप्रदेश ट्रैक्टर द्वारा जुताई (प्रभारों की वसूली) अधिनियम १९७२ की धारा ५ के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित है । रकम बजट शीर्ष - - - - - - - - - - - - में जमा की जा सकेगी तथा चालान की एक-एक प्रतिलिपि सहायक कृषि यंत्री - - - - - - - - - - - - - - - - को भेजी जाय ।

संचालक कृषि, मध्यप्रदेश
या
अधिकारी जो धारा २ (ख)
के अधीन नियुक्त किया गया है ।

- ६ -

ट्रैक्टर द्वारा की गई खेती जुताई प्रभारों के लिए मांग सूची

१- खेतिहर का नाम - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

२- ग्राम -

३- पटवारी हल्का क्रमांक - - - - - - - - - - - - - - - -

४- तहसील -

५- जिला -

६- बिल की विशिष्टियाँ - - - - - - - - - - - - - - - - -

क्रमांक - - - - - - - - - - - - - - - - तारीख - - - - - - - - रकम - - - - -

संचालक कृषि, मध्यप्रदेश
या
अधिकारी जो धारा २(ज) के
अधीन नियुक्त किया गया हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता०/-
(जी०एन०सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

बी-७३।२७।३।६३-१४।७९ भोपाल, दिनांक ८-६-८१

प्रतिलिपि:-

१- नियंत्रक शासकीय, मुद्रणालय भोपाल को इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

२- संचालक कृषि म०प्र० भोपाल को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अग्रेषित ।

हस्ता०/-
(जी०एन०सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग

Government of Madhya Pradesh
Agriculture Department

Bhopal, dated 8-9-1981.

NOTIFICATION

No.B-7/11/73/14-3 In exercise of the powers conferred by section 7 of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti(Prabharo Ki Vasuli) Adhiniyam, 1972 (No. 9 of 1973), the State Govt. hereby makes the following rules, namely:-

RULES

1. Short title:- These rules may be called the Madhya Pradesh Tractor Dwara Keti (Prabharo Ki Vasuli) Niyam, 1981.

2. Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Form" means a form appended to these rules; and

   (b) "Section" means a section of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli) Adhiniyam, 1972 (No. 9 of 1973).

3. Application for tractor cultivation:-

   The application, under sub section (1) of section 3 for tractor cultivation shall be in Form I and shall be accompanied by a certificate from Patwari concerned to the effect that the applicant in a Bhumiswami tenure holder of the land in quoction.

4. Intimation of accpptance of application:- An intimation of acceptance of the application made under sub-section (1) of section 3 for tractor cultivation shall be communicated to the cultivator concerned in Form II.

5. Bond:- The bond to be executed under sub-section (1) of section 4 shall be in Form III.

6. Completion certificate:- On completion of tractor cultivation, the cultivator shall certify in Form IV completion of the tractor cultivation, to his satisfaction or otherwise for the reasons stated therein.

7. Scale of tractor cultivation charges:- The Scale of tractor cultivation charges shall be as follows:-

Contd....2/-

FORM - II
(See rule 4)

Form of acceptance of application made under sub-section (1) of section 3.

Office of the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MEMORANDUM

Dated.

To,

Shri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sub:- Tractor Cultivation.

Ref:- Your application dated . . . .

Your application under reference for carrying out tractor cultiv-ation on _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hactares of land (under cultivation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectares and follow land _ _ _ _ _ _ _ _ hectares) Khasra No. _ _ _ _ _ In Village _ _ _ _ _ _ _ _ _ Patwari Circle No. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tahsil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ District _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ has been accepted and you are hereby called upon to execute a bond in the enclosed form within 30 days of the receipt of this memorandum. On failure to execute the bond within the period specified above, the application under reference shall stand rejected.

Director of Agriculture
Madhya Pradesh

OR

the Officer appointed
under section 2 (b).

232

F O R M - III
(SEE RULE 6)

I ---------------- resident of village ------- Patwari Circle No.---------- Tahsil -------- District ---------- having applied under sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Wasuli) Adhiniyam, 1972 (No. 9 of 1973) (hereinafter referred to as the said Adhiniyam) for tractor cultivation of ------------ hectares of land (---------- hectares cultivated and ---- hectares fellow land) in village --------- Khasra No.-------- patwari circle No.-------- Tahsil ----------- District---------- and the application having been accepted under sub-section (1) of section 4 of the said Adhiniyam hereby

(a) To (1) undertake --

(i) root out all stems, roots, shrubs, trees, plants with diameter exceeding one inch;

(ii) remove heavy big stones;

(iii) file up ditches and nallahs;

(iv) crush tillers from the said land so as to make it suitable for tractor cultivation;

(b) to remain present on the land myself or depute any adult member of my family or my servant or any other person having full knowledge of the land whereon tractor cultivation is to be carried on according to my application made in this behalf during the course of carrying on of the tractor cultivation so as to direct that tractor cultivation is carried on the land for tractor cultivation of which application was made;

Contd.....2/-

FORM - IV

(See rule 6)

CERTIFICATE

I _____________ resident of village ______ Patwari Circle No. _________ Tahsil __________ District __________ hereby certify that tractor cultivation has been carried on the land particulars whoreof are given below to my entire satisfaction in terms of my application dated _____ made for the purpose.

I, _____________ resident of village ______ patwari circle No. ________ Tashil ________ District ________ with reference to my application dated _____ hereby point out that tractor cultivation on the land particulars whereof are given below has not been satisfactories carried on since the tractor cultivation carried on contains the following deficiencies, namely:-

1. ____________
2. ____________
3. ____________

Particulars of land

(a) District ___________

(b) Tahsil ____________

(c) patwari cirlce No. ______

(d) Village ___________

(e) Khasra No. _________

(f) Area.
  (i) Under cultivation
  (ii) Fallow land.

Signature.

F O R M - V

(See Rule 8)

Office of the _______________

Notice under section 5 (2) (a) of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli) Adhiniyam, 1972.

No. .... dated..................

To,

Shri ____________

____

____

Whereas, in pursuance of your application dated the _______________ made under sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti(Prabharo Ki Vasuli) Adhiniyam, 1972 tractor cultivation has been carried out in the land described below:- .

(a) District ___________

(b) Tahsil ___________

(c) Patwari Circle No.______

(d) Village ___________

(e) Khasra No. __________

(f) Area _______________

(i) Under cultivation ___________

(ii) Fallow land _____________

And whereas, you are liable to pay the following tractor cultivation charges assessed on the basis of the scale of charges laid down in rule 7 of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli) Niyam, 1981 and the amount of interest calculated at the rate specified by Government of Madhya Pradesh namely:-

Contd.....2/-

No. Dated:

Copy with a copy of a demand list forwarded to the Collector __________ for necessary action under section 5 of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli) Adhiniyam, 1972. The amount may be credited to the budget head ____________ and a copy of the chalan be sent to the Assistant Engineer, Agriculture ________

Director of Agriculture
Madhya Pradesh

or

The Officer appointed
under section 2 (b)

DEMAND LIST FOR TRACTOR CULTIVATION CHARGES.

1. Name of Cultivator __________
2. Village ______________
3. Patwari Circle No. __________
4. Tahsil ______________
5. District ______________
6. Particulars of Bill.

No. __________ Date ________ Amount ______

Director of Agriculture
Madhya Pradesh

or

The Officer appointed
under section 2 (b).

By order and in the name of the
Governor of Madhya Prades.

(B. N. Singh)
Deputy Secretary to Govt. of M.P
Agriculture Department.

7-8-81
Inder/

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DEPARTMENT OF FARMERS WELFARE AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
MANTRALAYA

NOTIFICATION

Bhopal, dated 21 July, 2008

No.D-7/10/2008/14-3: In exercise of the powers conferred by section 7 of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli) Adhiniyam, 1972 (No. 9 of 1973), the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli) Niyam, 1981, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. Scale of Tractor Cultivation Charges. The scale of Tractor Cultivation charges shall be as follows :-

(a)	1. Tractors upto 40 Horsepower	Rs.225/-per hour
	2. Tractors of 41 horsepower or above	Rs.325/-per hour
(b)	Wheel Type Tractor upto 40 Horsepower	Rs. 8/- per Kilometer
	Wheel Type Tractor of 41 Horsepower or above	Rs.10/- per Kilometer

2. This amendment shall come in to force with effect from 1st of August 2008.

By Order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(Dr.H.B.S. Bhadoria)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Deptt. of Farmers Welfare and Agriculture Development

पृष्ठांकन क्रमांक-डी-7/10/2008/14-3 भोपाल, दिनांक 21 जुलाई, 2008

प्रतिलिपि:-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया अधिसूचना की 200 प्रतियां कार्यालयीन उपयोगार्थ प्रदाय करें।
2. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि विभाग/ग्राम संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।

उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

KD
02/2517

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय,

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 24 जुलाई, 2008

क्रमांक डी–7 / 10 / 08 / 14–3 : मध्यप्रदेश ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम, 1972(क्रमांक 9 सन् 1973)की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) नियम, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:–

संशोधन

1\. उक्त नियमों में ,नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात :–

" 7 ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान– ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान निम्नानुसार होगा :–

(क) समस्त कृषि कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के व्हील टाईप ट्रेक्टर द्वारा किया जाना हो (इसमें परिवहन सम्मिलित नहीं है) :–

1.	40 अश्वशक्ति तक के ट्रेक्टर	रू. 225 / – प्रति घंटा
2.	41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रेक्टर	रू. 325 / – प्रति घंटा

(ख) परिवहन कार्य :–

1.	40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रेक्टर	रू. 8 / – प्रति किलोमीटर
2.	41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के व्हील टाईप ट्रेक्टर	रू.10 / – प्रति किलोमीटर

2\. यह संशोधन दिनांक 01 अगस्त, 2008 से प्रवृत्त होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.एच.बी.एस. भदौरिया)
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक डी–7 / 10 / 2008 / 14–3
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई ,2008

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24/7/08 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकरण से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

C:\Documents and Settings\Gathoat\My Documents\Mantralaya\Adhisuchna.doc

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आफिस काम्प्लैक्स,बी.ब्लाक,गौतम नगर,भोपाल–23

क्रमांक / के.डी–8 / 93–पार्ट–2 / 1154 ,
भोपाल,दिनांक 25.7.2008

प्रति,

1. कृषि यंत्री..............................(समस्त)
2. कार्यपालन यंत्री सागर
3. सहायक कृषि यंत्री..............................(समस्त)
4. मुख्य निर्देशक कर्मशाला भोपाल की ओर सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक,कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश,भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

638 / 24/9/14

भोपाल दिनांक 25/9/14

कमांक डी–7/2/2014/14–3 मध्यप्रदेश ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) अधिनियम 1972 (कमांक–9 सन्1973) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा मध्यप्रदेश ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली) नियम, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
" 7 ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान–ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान निम्नानुसार होगा :–

(क) **समस्त कृषि कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के व्हील टाईप ट्रेक्टरों द्वारा किया जाना हो** (इनमें परिवहन सम्मिलित नहीं है) :–

1	40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रेक्टर	रू. 350/– प्रतिघंटे
2	41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रेक्टर	रू. 500/– प्रतिघंटे

(ख) परिवहन कार्य :–

1	40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रेक्टर	रू. 10/– प्रति किलोमीटर
2	41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रेक्टर	रू. 15/– प्रति किलोमीटर

2. यह संशोधन 1 अक्टूबर 2014 से प्रवृत्त होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.एस. धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

कमांक डी–7/2/2014/14–3 भोपाल दिनांक 25/9/14

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25/9/14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकरण से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक डी-7/2/2014/14-3 भोपाल दिनांक 25-9- अगस्त, 2014

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित । कृपया अधिसूचना की 200 प्रतियां कार्यालयीन उपयोगार्थ प्रदाय करें।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग/जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DEPARTMENT OF FARMERS WELFARE AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
MANTRALAYA

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 25-9-14

No. D-7/2/2014/14-3 : In exercise of powers conferred by section 7 of the Madhya Pradesh Tractor dwara kheti (prabharo ki vasuli) Adhiniyam, 1972 (No. 9 of 1973), the state government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Tractor dwara kheti (prabharo ki vasuli) Adhiniyam, 1981] namely :-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-
"7. Scale of Tractor Cultivation Charges, The scale of Tractor Cultivation charges shall be as follows :-

(a) **All the agricultural works which are to be performed using tractor of different horsepower. (It does not include transportation)**

1.	Tractors upto 40 horespower	Rs. 350/- per hour
2.	Tractors of 41 horsepower or above	Rs. 500/- per hour

(b) **Transportation Works**

1.	Wheel Type Tractors upto 40 horespower	Rs. 10/- per hour
2.	Wheel Type Tractors 41 horsepower or above	Rs. 15/- per hour

2. This amendment shall come in to force with effect from 1st October 2014.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(B.S Dhurve)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Deptt. of Farmer Welfare and Agriculture Development

पृष्ठांकन कमांक डी–7 / 2 / 2014 / 14-3 भोपाल दिनांक 25-9-14

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया अधिसूचना की 200 प्रतियां कार्यालयीन उपयोगार्थ प्रदाय करें।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग / जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी मध्य प्रदेश भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग